न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 13 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. बाबूराम पुत्र जांवता 2. मेघाराम पुत्र हरूराम 3. भेराराम पुत्र जावंताराम 4. मकाराम पुत्र हरूराम जातियान विश्नोई निवासीगण नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. भगवानाराम पुत्र केसाराम 2. जगमालराम पुत्र केसाराम 3. सोनाराम पुत्र केसाराम 4. हरीराम पुत्र केसाराम 5. सिदाराम पुत्र केसाराम 6. विरदाराम पुत्र फगलूराम का.मु 1 / 1रामाराम पुत्र विरधाराम 1 / 2पूनमाराम पुत्र विरधाराम 7. भेराराम पुत्र फगलूराम का.मु. 7 / 1देवाराम पुत्र भेराराम 7 / 2हनुमानराम पुत्र भेराराम 7 / 3बाबूराम पुत्र भेराराम 8. धोकलाराम पुत्र चिमाराम कामु 8 / 1भगवानाराम पुत्र धोकलाराम 8 / 2जेती पुत्री धोकलाराम 8 / 3मीरा पुत्री धोकलाराम 8 / 4गवरी पुत्री धोकलाराम 9. जावताराम पुत्र चिमाराम का.मु 9 / 1सोनाराम पुत्र जावंताराम 9 / 2हरूराम पुत्र जावंताराम 9 / 3मूली पत्नी हरूराम 9 / 4उदाराम पुत्र जावंताराम जातियान विश्नोई निवासीगण नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 10. चनणी पुत्री जावंताराम पत्नी चेनाराम पुत्र धना जाति विश्नोइ निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. रूखमण पुत्री जावंताराम पत्नी शेरा पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी जूनी उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 12. बधू पत्नी सुजा पुत्र अरजन जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	13. खीवणी पत्नी जावताराम फौत होने से विलोपित 14. ळीराराम पुत्र पोकराराम 15. सावताराम पुत्र चिमाराम का.मु 15/1भगवानाराम पुत्र सांवताराम 15/2लिछमणा पुत्र सांवताराम 15/3किशना पुत्र सांवताराम 15/4जैकन पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर 16. भगवानाराम पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी 17. ज्ेती पुत्र धोकलाराम पत्नी रामा जाति विश्नोई निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी 18. सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा बालोतरा 19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/1998 बअनवान भगवानाराम वगैरा बनाम विरधाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रोशनलाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अमित शर्मा रेस्पोडेंट/वादीगण संख्या 01 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 ने एक वाद बाबत विभाजन घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विद्वान सहायक कलेक्टर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 चिमा पुत्र समेला की संतान है ग्राम नई उन्दरी तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुड़ामालानी में वादीगण के दादा चिमा के समय से खेत खसरा संख्या 8 रकबा 46.03 बीघा तथा खसरा संख्या 35 रकबा 143 बीघा कुल रकबा 189.03 बीघा, भूमि आई हुई है। चिमा पुत्र समेला के 6 पुत्र फगलू, केसा, धोकला, जावंता, पोकर व सावंता है जिनमें से फगलू संवत 2026 में एवं केसा सवंत 2038 में फौत हुए वादीगण के दादा चिमा पुत्र समेला संवत 2027 में फौत हुए। वादीगण के दादा के फौत होने पर वादीगण के पिता केसा का नाम बतौर वारिसान उक्त खसरान की भूमि में अंकित नहीं किया गया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से की भूमि पर वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा इसी अनुसार 1/6 हिस्से की भूमि वादीगण की पैतृक हक हकूक की भूमि है। प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादीगण की हिस्से की भूमि का बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दिनांक 29.01.2024 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस स्वयं एवं उतरदाता/वादीगण संख्या 01 से 05 स्वयं तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं उपस्थित। उभयपक्षकारान ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना–पत्र वास्ते वाद जरिये राजीनामा विड्राल खारिज करने बाबत् पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल हो। उतरदाता/वादीगण संख्या 01 से 05 स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादीगण राजीनाम के जरिये वाद में हुई डिक्री को खारिज करवाना चाहते है तथा वाद को राजीनामा के जरिये विड्राल खारिज करवाना चाहते है। वादीगण अपील को जरिये राजीनामा स्वीकृत करवाने हेतु तैयार है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण कोई हक हिस्सा नहीं चाहते है। तथा इनकी आने वाली पीढियां भी कोई हक हिस्सा नहीं मांगेगी इन्होने अपना हिस्सा सांचोर तहसील के पटवार मण्डल पूर तथा वोढा के गांव वोढा केरवी में ले रखा है। तथा राजीनामे में ग्राम जालीखेड़ा के खसरा संख्या 110 में 06 बीघा भूमि और वादीगण ने प्राप्त कर ली है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व डिक्री दिनांक 29.01.2024 को खारिज की जावे तथा वाद को जरिये विड्राल खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उभयपक्षकारान को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंटस/वादीगण संख्या 01 से 5 ने जरिये राजीनामा लोकअदालत की भवना से प्रेरित होकर अपील स्वीकार की जाकर अधीनरथ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/1998 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 को खारिज की जावे तथा वाद को जरिये विड्राल खारिज करने का निवेदन किया गया। उभयपक्षकरान के मध्य हुए राजीनामा को न्यायालय में दिनांक 06.06.2024 को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। लिहाजा लोकअदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षकारान द्वारा संयुक्त हस्ताक्षकरयुक्त पेश राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/1998 बअनवान भगवानाराम वगैरा बनाम विरधाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2024 को खारिज किया जाता है। उतरदाता/वादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद को जरिये विड्राल खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अजीतसिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर